बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–04/2022 129 /पटना, दिनांकः– 03/05/2023

कार्यालय आदेश

श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, काँटी प्रखंड, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अवैध शराब सेवन के आरोप में दर्ज प्राथमिकी काँटी थाना कांड संख्या–725/21 एवं गिरफ्तारी के आलोक में प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप प्रारूप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत में श्री सिन्हा से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाये जाने के कारण उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–189 सहपठित ज्ञापांक–991 दिनांक–03.06.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, काँटी प्रखंड, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मुजफ्फरपुर के पत्रांक–231/वि०जाँच दिनांक–29.11.2022 द्वारा श्री अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" तथ्यों का समग्र विश्लेषण करने के पश्चात यह कार्यालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप के पक्ष में उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, काँटी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, काँटी, मुजफ्फरपुर पर प्रपत्र 'क' में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होता है।"

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त उससे असहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत निम्न असहमति के बिन्दु गठित किया गया :–

" (i) श्री सिन्हा के गिरफ्तारी के समय प्रभारी थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराये गये प्राथमिकी में यह अंकित किया गया है कि प्रखंड कार्यालय, काँटी में हंगामा होने की स्थिति में इनके द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री सिन्हा के मुँह से शराब की गंध आ रही थी, इस कारण इनकी गिरफ्तारी की सूचना प्रखंड कार्यालय को देकर ही इन्हें काँटी थाना लाया गया ।

(ii) थाने में शराब की पुष्टि हेतु इनके मुँह में ब्रेथ एनालाइजर डालकर पुष्टि की गई जिसमें इनके शरीर में **289**mg/**100** ml शराब की पुष्टि हुई। इसका अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मशीन से प्रिंट निकाला

गया है, जिस पर स्वयं आरोपित कर्मी श्री अनिल कुमार सिन्हा का हस्ताक्षर है। जिससे यह पुष्ट होता है कि यह ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट इन्हीं का है।

(iii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , काँटी में जाँच के क्रम में मात्र यह बताया गया कि " There is no facility to check alcohol intake at CHC but according to Kanti, Bihar Police reading of alcohol finding machine is **289mg/100ml**, but I am not sure be taken Alcohol or not."

जाँच रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि इनके शरीर में अल्कोहल की जाँच सुविधा के अभाव में नहीं हो सकी। चिकित्सक की रिपोर्ट में यह कहीं अंकित नहीं है कि आरोपित कर्मी के द्वारा शराब का सेवन नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में शराब जैसे मादक पदार्थ का सेवन वर्जित है साथ ही बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम– 4 में स्पष्ट प्रावधानित है कि " कोई सरकारी सेवक अपने कर्त्तव्य पर नशा अथवा मादक पेयों का सेवन नहीं करेगा। श्री अनिल कुमार सिन्हा के विरूद्ध उनके कार्यालय कक्ष में ही शराब पीने का आरोप है । अतएव श्री सिन्हा कार्यालय कक्ष में शराब पीने के दोषी प्रतीत होते हैं ।"

4. असहमति के गठित उक्त बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री अनिल कुमार सिन्हा से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री सिन्हा ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

" (i) लगाये गये आरोप निराधार, तथ्यविहीन, झूठे एवं भ्रामक हैं। वे जीवन में कभी भी शराब का सेवन नहीं किये हैं। उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप के समर्थन में कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण का प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। दिनांक–16.11.2021 को वे मतगणना से संबंधित प्रवेश पत्र निर्गत करने के कार्य का निष्पादन हेतु प्रतिनियुक्त किये गये थे तथा सैकड़ों पास अपने हस्ताक्षर से निर्गत किये। प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी या प्रवेश पत्र के सक्षम हकदार व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी। विभागीय निर्देशानुसार पंच या वार्ड मेंबर को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं करने का निर्देश था। इसके बावजूद कुछ पंच एवं वार्ड मेंबर मतगणना केन्द्र पर जाने हेतु प्रवेश पत्र बनाने का दबाव बना रहे थे जिसे वे स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिये थे। प्रखंड कार्यालय में हंगामा वार्ड मेंबर तथा कुछ असमाजिक तत्वों ने मिलकर किया था। उन्हें काँटी थाना मतगणना के कार्य का हवाला देते हुए बुलाया गया और वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

(ii) आरोप सं०–2 के अंतर्गत लगाये गये आरोप निराधार, तथ्यविहीन, झूठे एवं भ्रामक हैं। वे जीवन में कभी भी शराब का सेवन नहीं किये हैं। उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप के समर्थन में कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण का प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कभी पुलिस द्वारा किया ही नहीं गया तथा उन्हें काँटी थाना मतगणना के कार्य का हवाला देकर बुलाया गया था। उन्हें काँटी थाना बुलाकार उनसे झूठी ब्रेथ एंनालाइजर टेस्ट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर लिया गया तथा वहाँ कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं थे। पुलिस कस्टडी में दबावपूर्वक कोई स्वीकृति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता है जबतक उस स्वीकृति की